जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांकःजीवि/परीक्षा–2/गोप0/2013/1254 दिनांक : 20.05.2013

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या/वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म0प्र0)

विषयः– स्नातक द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम सेमेस्टर एवं स्नातकोत्तर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा जून एवं दिसम्बर 2013 की परीक्षा में अण्डरटेकिंग के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित कराने बावत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है कि स्नातक द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम सेमेस्टर एवं स्नातकोत्तर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा जून एवं दिसम्बर 2013 की परीक्षाओं में पात्रता रखने वाले ऐसे परीक्षार्थी, जो परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, उन्हें निम्न दिशा–निर्देशों के अनुसार अण्डरटेकिग के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित करायें तथा यह सुनिश्चित करें कि कोई पात्रता प्राप्त परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित न रहेः–

1. यदि कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा आवेदन–पत्र भरने से वंचित रह गये हों तो ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी की पात्रता चैक कर उसे अण्डरटेकिंग के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित करायें।

2. यदिकिसी छात्र का का अनुचित साधन (UFM) तथा उत्तरपुस्तिका अवलोकन का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है तो ऐसे छात्रों को भी अण्डरटेकिंग के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित कराया जाये।

3. यदि परीक्षार्थी का किसी भी सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम रूका (Withheld) है तो ऐसे छात्र–छात्राओं को भी अण्डरटेकिंग के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित कराया जाये। यदि छात्र उपर्युक्त परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो ऐसे परीक्षार्थियों की परीक्षा एवं प्रस्तुत किया गया परीक्षा आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जावेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं छात्र का होगा।

परीक्षा अत्यावश्यक कार्य में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. संपादक महोदय .... ग्वालियर की ओर भेजकर निवेदन है कि उक्त पत्र को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में समाचारवृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. अतिरिक्त संचालक, ग्वालियर–चम्बल संभाग, मोतीमहल, ग्वालियर।
3. उप–कुलसचिव/सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय), जीवाजी वि.वि., ग्वालियर।
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. कुलसचिव के गोपनीय/निजी सहायक, जीविवि, ग्वा0।

उपसहायक–कुलसचिव (परीक्षा)